

।।कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग।।

—:: निविदा सूचना ::—

कमांक / /रा0वि0(बा0)/2017-18

दुर्ग,दिनांक

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम,दुर्ग के नियंत्रणाधीन निम्नांकित अस्थायी वसूली वित्तीय 2017-18 के लिये ठेके पर दिये जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से बंद लिफाफे में ऑफर दिनांक 15.03.2017 को 4.00 बजे तक नगर पालिक निगम (बस डिपो) कार्यालय में निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 15.03.2017 को 5.00 बजे उपस्थित ऑफरकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त किया जावेगा। निविदा सीधे कार्यालय में नहीं लिया जावेगा। ठेके पर दी जाने वाली मदों का विवरण :-

क	मद	ठेका राशि	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र मूल्य
1	इंदिरा मार्केट क्षेत्र वाहन पार्किंग शुल्क ठेका	12,22,100.00	1,22,210.00	300,00
2	पशु पंजीयन शुल्क ठेका	1,98,000.00	19,800.00	300,00

शर्त:-

01. निविदा की नियम एवं अनुबंध शर्तें एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट www.municipalcorporationdurg.com से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र के साथ निविदा मूल्य व अमानत राशि का डी0डी0 व पृथक संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र कार्यालय से नहीं दिया जावेगा।
02. निगम द्वारा निर्धारित ठेका राशि से कम ऑफर पर ठेका स्वीकार नहीं किया जावेगा।
03. निविदा कार्य पर निविदाकर्ता का फोटो चस्पा करना अनिवार्य होगा। साथ ही आई. डी. (परिचय पत्र) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

पृ.कं / 20/2 / रा0वि0(बा0)/2017-18
प्रतिलिपि:-06

अधियुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग
दुर्ग दिनांक 09/03/2017

01. माननीय महापौर जी, नगर पालिक निगम,दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
02. माननीय सभापति जी, नगर पालिक निगम,दुर्ग को सूचनार्थ।
03. प्रभारी बाजार,नगर पालिक निगम,दुर्ग की सूचनार्थ।
04. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग को सूचनार्थ।
05. जनसंपर्क अधिकारी,नगर पालिक निगम,दुर्ग को दैनिक समाचार पत्रों प्रकाशित करने हेतु सूचनार्थ।
06. श्री टी0के0 देव,सहायक नोडल अधिकारी, नगर पालिक निगम,दुर्ग की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ।

अधियुक्त
नगर पालिक निगम,दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग ।।

—:: निविदा प्रपत्र ::—

इंदिरा मार्केट/सायकल पार्किंग शुल्क वसूली ठेका

प्रति,

आयुक्त ,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

फोटो

विषय :- ठेका लेने हेतु ऑफर।

संदर्भ :- आपका विज्ञापन क्रमांक.....दिनांक.....

—00—

इंदिरा मार्केट/नया बस स्टैण्ड स्कूटर/सायकल पार्किंग शुल्क वसूली ठेका वर्ष 2017-18 हेतु अर्थात् दिनांक तक की अवधि के लिये लिये मेरा ऑफर ठेका राशि रु.....अक्षरी है।

अतः ठेका की शर्त मुझे स्वीकार है, इस हेतु निर्धारित धरोहर राशि रुपये.....अक्षरी..... का डी0डी0/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक एवं निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रुपये..... डी0डी0/बैंक ड्राफ्ट क्रमांक.....दिनांक.....संलग्न कर रहा हूँ।

ऑफरकर्ता का हस्ताक्षर

दिनांक.....

नाम

पिता का नाम

पता

मोबा.नं.

।।कार्यालय नगर पालिक निगम,दुर्ग।।

--: निविदा प्रपत्र ::--

पशु विक्रय पंजीयन शुल्क वसूली ठेका

रसीद बुक क्रमांक.....

रसीद क्रमांक.....

दिनांक

निविदा प्रपत्र का मूल्य.....

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,दुर्ग (छ.ग.)

विशय:- ठेका लेने हेतु ऑफर

संदर्भ:- आपका विज्ञापन क्रमांक.....दिनांक.....

महोदय,

पशु विक्रय पंजीयन शुल्क वसूली ठेका वर्ष 2017-18 हेतु अर्थात्
दिनांकसे दिनांकतक की अवधि के लिए मेरा
ऑफर राशि रुपये.....अक्षरी
रुपये है।

ऑफर की शर्त मुझे स्वीकार है, इस हेतु निर्धारित अमानत राशि
रुपये..... अक्षरी.....रुपये,डी.डी./बैंक ड्राफ्ट
जमा कर दिया हूँ।

दिनांक.....

हस्ताक्षर

ड्राफ्ट क्रमांक.....

ऑफरकर्ता

बैंक का नाम.....

नाम.....

दिनांक.....

पिता का नाम.....

पता

।।कार्यालय नगर पालिक निगम ,दुर्ग।।

इंदिरा मार्केट में सायकल/स्कूटर पार्किंग शुल्क की वसूली का अधिकार वर्ष 2017-18 के लिए ठेके पर दिए जाने निलामी/ निविदा की नियम एवं शर्तः—

1. ठेके की अवधि आधिपत्य दिनांक से 01 वर्ष तक की होगी।
2. निलामी/निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को कार्यवाही के पूर्व अमानत राशि करना अनिवार्य है। निलामी / निविदा की कार्यवाही उपरान्त सफल बोलीदार/ आफरकर्ता की राशि को रोककर कोश अन्य की जमा धरोहर राशि वापस कर दी जावेगी। सफल बोलीदार / आफरकर्ता की जमा धरोहर राशि / रोकी गई राशि को ठेका की अंतिम किश्त में समायोजित की जा सकेगी अथवा सफलतापूर्वक ठेका समाप्ति पश्चात् वापस कर दी जावेगी।
3. निलामी/निविदा की उच्चतम/अधिकतम राशि की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति करने का अधिकार महापौर, नगर पालिक निगम दुर्ग को होगा एवं इस संबंध में उनका निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
4. निलामी अथवा आफर की उच्चतम राशि की स्वीकृति उपरान्त उक्त राशि का 50 प्रतिशत 24 घण्टे के भीतर जमा करना होगा। विहित समयानुसार राशि जमा नहीं किये जाने अमानत राशि जब्त कर पुनः ठेका दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी। ठेका की कोश 50 प्रतिशत राशि को 3 समान मासिक किश्तों के रूप में अग्रिम चेक (पोस्ट डेट) द्वारा देना होगा।
5. ठेका समाप्ति होने की दशा में पुनः ठेका देने की कार्यवाही की जावेगी अथवा पार्किंग शुल्क वसूल करने किसी अन्य को अधिकृत करेगी अथवा निगम के अपने स्वयं के कर्मचारियों से वसूल करायेगी। इस प्रकार होने वाली अर्थिक क्षति की पूर्ति ठेकेदार के संपत्ति से वसूल करायेगी। इस प्रकार होने वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति ठेकेदार के संपत्ति से वसूल कर की जावेगी।
6. पार्किंग स्थल को लोहे की रेलिंग से चौहद्दी की गई है। ठेकेदार नियत अवधि में इस चौहद्दी के भीतर वाहन खड़ी कर पार्किंग शुल्क निर्धारित दर से वसूल कर सकेगा।
7. पार्किंग स्थल में खड़ी वाहनो की पूर्ण सुरक्षा की जावाबदारी ठेके दार की होगी। पार्किंग स्थल से वाहनों की चोरी अथवा टूट फूट या नुकसान होने पर उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार जवाबदार होगा एवं उसकी अदायगी करेगा। इस संबंध में नुकसान अथवा क्षति के लिए नगर निगम,दुर्ग जवाबदार नहीं रहेगा।
8. पार्किंग स्थल का उपयोग कवेल वाहन खड़ी करने के ही कार्य किया जावेगा। इस स्थल पर सामान इकठ्ठा रखने का कार्य नहीं करेगा।
9. पार्किंग स्थल का जिस रूप निर्माण किया गया है, उसके स्वरूप को यथावत बनाया रखा जावेगा। इस पर शोड निर्माण की मांग ठेकेदार नहीं कर सकेगा और न ही किसी प्रकार का विवाद का मुद्दा बनायेगा।
10. किसी भी दशा में अधिकृत ठेकेदार के द्वारा ठेके की अवधि में पार्किंग शुल्क की वसूली का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगा। यदि ऐसा किया जाता है। तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह ठेका समाप्त कर ऐसा किया जाता है तो निगम को यह अधिकार होगा कि वह ठेका समाप्त कर दें अथवा निरस्त कर दे और बिना किसी

